मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
म.प्र. मंत्रालय

(151) (88)

क्रमांक/2004/512/2002/बीस-। भोपाल ,दिनांक 03-07-04

प्रति ,

समस्त कलेक्टर ,

मध्यप्रदेश

विषय: शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण।

शिक्षा की गुणात्मक दिशा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होने के पीछे शालाओं एवं शिक्षकों का आवश्यकता एवं विषयमान से उचित समायोजन नहीं होना भी रहा है। राज्य शासन ने इस संबंध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि आगामी शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व शालाओं एवं शिक्षकों की आवश्यकता एवं विषयमान से युक्तियुक्तकरण किया जाय।

(अ) <u>शालाओं का युक्तियुक्तकरण –</u> स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक ही शाला प्रांगण में एक से अधिक संस्थायें भी संचालित हैं। इससे अध्यापन हेतु आवश्यक अवधि शालाओं को प्राप्त नहीं हो पाती। साथ ही जहां एक ओर एक ही स्थान में एक ही प्रकार की एक से अधिक संस्थाएं संचालित हैं वहीं दूसरी ओर अनेक ऐसे मुहल्ले ,ग्राम ,वार्ड हैं जहां संस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं। अतः इस विसंगति को दूर करने एवं उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की दृष्टि से राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि शालाओं का भी युक्तियुक्तकरण किया जाय। यह निम्न प्रकार से आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है :–

एक ही शाला प्रांगण में एक ही प्रकार एवं स्तर की एक से अधिक संस्थायें संचालित होने की स्थिति में मूल संस्था को यथावत रखते हुए शेष संस्थाओं को सम्पूर्ण संस्था के रूप में आवश्यकता वाले स्थान में यथावत स्थानांतरित कर स्थापित कर दिया जाय। या

सभी ऐसी संस्थाओं को आपस में समाहित (Merge) कर दिया जाय और एक संस्था के रुप में संचालित किया जाय। ऐसा करने से विषयमान से अतिशेष शिक्षकों को अन्य आवश्यकता वाली संस्था में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत समायोजित कर दिया जाय। संस्था प्रमुखों के अतिशेष होने पर उन्हे भी अन्य आवश्यकता वाली संस्थाओं में पदांकित कर दिया जाय।

(ब) शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण :– इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति दिनांक 30.1.2004 की कंडिका 2.12 एवं 2.14 विशेष रूप से अवलोकनीय है। उक्त कंडिका

89

2.12 में यह उल्लेख किया गया है कि जिन " कार्यालयों में निर्धारित मापदण्ड से अधिक स्टाफ है वहां से कम स्टाफ वाली जगह पर युक्तियुक्तकरण के फलस्वरूप शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में पद सहित स्थानान्तरण किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में ऐसे स्थानान्तरण नहीं होंगे।" साथ ही कंडिका 2.14 में यह स्पष्ट किया गया है कि " स्कूल शिक्षा विभाग के जिन विद्यालयों में विषयवार (व्याख्याता/शिक्षक) निर्धारित संख्या से अधिक व्याख्याता/शिक्षक कार्यरत हों, वहां से अतिशेष व्याख्याता/शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जाय। ऐसा करने में कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशेषत कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानान्तरित किया जाए किन्तु मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला, 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले विकलांग ,गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक एवं ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या कम समय शेष है उन्हें अतिशेष मानकर स्थानान्तरित नहीं किया जाये। पद से अधिक पदस्थापना किसी भी स्थित में न की जाये। पदस्थापना के समय विषयवार स्थिति को ध्यान में रखा जाय एवं तद्नुसार ही पदस्थापना की जाय।" उल्लेखनीय है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के बिन्दु पर विचार के लिये गठित टास्क फोर्स द्वारा भी प्रत्येक स्तर की शालाओं में विषयमान के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना की अनुशंसा की गयी है। अतः इस संबंध में स्वयं भी देख-रेख में निम्नानुसार कार्रवाई समयावधि में सम्पन्न कराई जाय :-

(1) प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में विषयमान एवं छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना एवं समायोजन की कार्रवाई इस संबंध में विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-512/2002/बीस-1 दिनांक 19.5.2004 के अनुक्रम में सम्पन्न करायें। जिला स्तर पर यह कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के अनुमोदन पर जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से कराया जाय। स्थानान्तरण के प्रतिबंधकाल में मान.जिला प्रभारी मंत्री म.प्र.शासन का भी अनुमोदन स्थानान्तरण नीति अन्तर्गत नियमानुसार प्राप्त किया जाय। निर्देशानुसार प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के विषयमान का निर्धारण उनके संवर्ग के अनुसार माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा/स्नातक उपाधि में लिये गये विषय के आधार पर किया जायेगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान रिक्त पदों की पूर्ति उक्तानुसार विषयमान से समायोजन के द्वारा की जाय एवं भविष्य में उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति भी इसी अनुसार की जाय।

(2) हाईस्कूलों में स्वीकृत रचनाक्रम एवं विषयमान से शिक्षकों की पदस्थापना की जायेगी। विषय का निर्धारण उनके द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में लिये गये विषय के

153

आधार पर किया जायेगा। युक्तियुक्तकरण की इस कार्रवाई में प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक हाईस्कूल में कम से कम एक–एक ऐसा शिक्षक पदस्थ किया जाय जिसके स्नातक स्तर पर एक विषय विज्ञान अथवा गणित अथवा अंग्रेजी रहा हो।

इन शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं पदेन अपर संचालक लोक शिक्षण के अनुमोदन पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। स्थानान्तरण के प्रतिबंधकाल में मान.जिला प्रभारी मंत्री म.प्र.शासन का भी अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(3) प्राचार्य हाईस्कूल ,विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं व्याख्याताओं का युक्तियुक्तकरण रचनाक्रम एवं विषयमान से निम्नानुसार चरणों में संपादित किया जायेगा :–

(i) सर्वप्रथम जिले के प्राचार्य हाईस्कूल एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का आकलन किया जाकर वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त व्याख्याताओं के द्वारा वरिष्ठता एवं उपयुक्तता की दृष्टि से पद पूर्ति का प्रस्ताव तैयार किया जाय एवं पदस्थापना की जाय।

(ii) तद्परान्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये स्वीकृत रचनाक्रम एवं शालाओं में संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार- विषयमान से व्याख्याताओं की आवश्यकता का आकलन किया जाय तथा अतिशेष एवं कमी की स्थिति का संस्थावार चार्ट तैयार किया जाय। इसके पश्चात स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई कर यथा संभव समीपता को ध्यान मे रखते हुए आधिक्य वाली संस्था से कमी वाली संस्था में स्थानान्तरित किया जाय।

(iii) इसके उपरान्त जिला मुख्यालय में स्थिति स्कूल शिक्षा विभाग की अन्य संस्थाओं यथा शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों ,डाईट ,विधि प्रकोष्ठ ,पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान ,आं.ल.भा. शिक्षा संस्थान इत्यादि के लिये निर्धारित योग्यता एवं मापदण्डों के अनुसार अतिशेष व्याख्याताओं में से समान वेतनमान वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जाय। यदि इन संस्थाओं में वर्तमान में ऐसे व्याख्याता कार्यरत हों जो इन संस्थाओं हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्रता नहीं रखते हो तो उन्हें इन संस्थाओं से बाहर लाया जाय तथा आवश्यकता एवं उपयुक्तता के अनुसार व्याख्याता उच्चतर माध्यमिक शाला ,प्राचार्य हाईस्कूल अथवा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाय। परन्तु

(9)

154

यदि वहां भी समायोजन संभव नहीं हो अथवा आवश्यकता नहीं हो तो उन्हे जिले की अतिशेष सूची में शामिल किया जाय।

उक्त कार्रवाई भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं पदेन अपर संचालक लोक शिक्षण के अनुमोदन पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ही जायेगी। किन्तु प्रतिबंध काल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अपनी अनुशंसा सहित एकल नस्ती पर प्रस्ताव आयुक्त लोक शिक्षण को भेजा जायेगा। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा प्रक्रियानुसार आगामी कार्रवाई पूर्ण कराकर एकल नस्ती वापस मुख्य कार्यपालन अधिकारी को वापस की जावेगी। आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

(4) शिक्षा कर्मियों एवं संविदा शाला शिक्षकों के संबंध में स्थानान्तरण नीति 2004 की कंडिका 8 का अवलोकन करें जिसमें उल्लेख किया गया है कि " शिक्षा कर्मियों एवं संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं संलग्नीकरण नहीं किये जायेंगे। यदि इस उद्देश्य के उल्लघंन में स्थानांतर/ संलग्नीकरण किया गया तो उसके लिए आदेश जारी करने वाला अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगा। यदि पूर्व में ऐसे स्थानान्तर/संलग्नीकरण किये गये है तो उन्हे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाय। शिक्षा कर्मियों की भर्ती तथा शिक्षकों के स्थानांतर की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित विभाग द्वारा युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाय।" अतः इस संबंध में सघन समीक्षा की जाय एवं नियम विरुद्ध किये गये संलग्नीकरण एवं स्थानांतर नीति के विरुद्ध किये गये स्थानान्तरण को निरस्त किया जाकर आवश्कतानुसार पदस्थापना की जाय। जिन शिक्षा कर्मियों का राज्य स्तर से अन्तर जिला स्थानान्तरण किया गया है और उनका क्रियान्वयन शेष है ,उन्हें निरस्त माना जाय और इस संबंध में संबंधितों को अवगत करा दिया जाय। जिला स्तर पर उक्त कार्रवाई भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं पदेन अपर संचालक लोक शिक्षण के अनुमोदन पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी। प्रतिबंध काल में जिला प्रभारी मंत्री म.प्र.शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। उक्त समस्त कार्रवाई शासन द्वारा जारी स्थानांतर नीति के अर्न्तगत ही की जायेगी।

(5) जिला अन्तर्गत युक्तियुक्तकरण उपरान्त समायोजित नहीं हो सकने वाले अतिशेष व्याख्याताओं की विषयवार सूची तथा विषयमान से कमी वाली संस्थावार सूची आयुक्त लोक शिक्षण को एकजाई रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अनुशंसा सहित उपलब्ध कराई जायेगी। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा प्रदेश स्तर पर अतिशेष एवं कमी का

विषयमान से आकलन किया जाकर आवश्यकतानुसार आवश्यक प्रक्रिया उपरान्त पदस्थापना की जायेगी।

उक्त कार्रवाई स्वयं की देखरेख में पूर्ण पारदर्शिता एवं सावधानी के साथ सम्पन्न करायें ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति एवं न्यायालयीन प्रकरण उद्भूत होने की स्थिति निर्मित नहीं हो। यह समस्त कार्रवाई जुलाई 2004 के पूर्व पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(अरविन्द कुमार जोशी)
सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल-शिक्षा विभाग
भोपाल ,दिनांक 03-7-2004

O/C

पृ.क्रमांक /2004/512/2002/बीस-1

प्रतिलिपि:-

1. सचिव,मान.मुख्यमंत्री जी ,म.प्र.शासन।
2. विशेष सहायक मान.राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा विभाग।
3. स्टाफ आफीसर ,मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल
4. प्रमुखसचिव ,म.प्र.शासन ,आदिम जाति कल्याण विभाग ,मंत्रालय भोपाल।
5. आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र.,भोपाल।
6. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र ,भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त) जिला..... .....म.प्र.।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त) जिला.....म.प्र.।
9. अवर सचिव ,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग समन्वय शाखा।
10. आर्डर बुक

की ओर सूचनार्थ

सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

O/C